




## e-Stamp



Certificate No. : IN-UP02341778792511V  
 Certificate Issued Date : 01-Sep-2023 10:41 AM  
 Certificate Reference : NEWIMPACC (SV)/ up14609804/ AYODHAYA SADAR/ UP-T-ZB  
 Original Doc. Reference : SUBIN-UPUP1460980400232924945903V  
 Purchased by : D P S INSTITUTE  
 Description of Document : Article 4 Affidavit  
 Property Description : Not Applicable  
 Consideration Price (Rs.) : 100  
 (One Hundred only)  
 First Party : D P S INSTITUTE  
 Second Party : Not Applicable  
 Stamp Duty Paid By : D P S INSTITUTE  
 Stamp Duty Amount(Rs.) : 100  
 (One Hundred only)

Stamp Amount - 100



(प्रारूप - "अ")

सत्र 2023-24 में नवस्थापित की जाने वाली डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थाओं की सोसाइटी के अध्यक्ष और ऑडिटर द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले नोटरी शपथ-पत्र का प्रारूप

हम अमित कुमार सिंह एवं अमूल्य कुमार सिंह क्रमशः अध्यक्ष एवं ऑडिटर डी० पी० एस० इंस्टिट्यूट एवं 461-आवास विकास कॉलोनी भरतपुरी, जिला-गोंडा शपथपूर्वक निम्नवत् बयान करते हैं-

1. यह कि हमारी सोसाइटी द्वारा डी० पी० एस० इंस्टिट्यूट एवं ग्राम-चरनगाहिया, पोस्ट- चरनगाहिया, तहसील-तुलसीपुर, जिला-बलरामपुर नामक डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना सत्र 2023-24 से किया जाना प्रस्तावित है।
2. यह कि हमारी सोसाइटी के नाम 461-आवास विकास कॉलोनी भरतपुरी, जिला-गोंडा में गाटा संख्या 150 एवं 2.71 एकड़ रकबा क्रमशः एवं 1.100 हेक्टेयर (कुल रकबा 1.100 हेक्टेयर) भूमि है।

2 यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है, और भूमि विवाद खतम है।

4. यह कि, उपरोक्त पते पर सोसाइटी के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा संख्या 150 एवं 2.71 एकड़ रकबा कमश 1.100 हेक्टेयर (कुल रकबा 1.100 हेक्टेयर) पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मैसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी की बैठक दिनांक 05/09/2019 द्वारा पारित किया गया है।

5. यह कि, उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्रगत डिप्लोमा फार्मैसी संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है।

6. यह कि, निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर सोसाइटी के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।

7. यह कि इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मैसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के नियमों के अंतर्गत ही डिप्लोमा फार्मैसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।

8. यह कि, इस संस्था में फार्मैसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

9. यह कि, उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मैसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद / विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित / सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान / विद्यालय / महाविद्यालय / आई०टी०आई० आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है, और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा।

10. यह कि, संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रूम प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मैसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।


11. यह कि, संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती सोसाइटी द्वारा सत्र प्रारंभ के पूर्व कर लिया जायेगा।

12. यह कि, शासन / परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों / आदेशों का भलीभांति पालन करूंगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।

13. मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त जानकारी मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख / दस्तावेज फर्जी, कृतकित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो मेरे विरुद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी ही पूर्ण विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊंगा।

अमृत्यु सिंह  
हो. ऑडिटर  
ओरिएण्टल

ही. पी. एम. इन्स्टिट्यूट  
461-आंध्रम विभाग चर्चोनी,  
भरतपुरी, गोंडा



DEPARTMENT OF HEALTH & FAMILY WELFARE  
GOVT. OF INDIA  
29/9/2023

अमृत्यु सिंह  
हो. ऑडिटर  
ओरिएण्टल  
ही. पी. एम. इन्स्टिट्यूट  
461-आंध्रम विभाग चर्चोनी,  
भरतपुरी, गोंडा